संख्याः 267/xxvii(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 28 नवम्बर2006

विषयः– वर्ग 'घ' के कर्मचारियों को 14 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य प्रथम प्रोन्नत वेतनमान रू0 2610–60–3150–65–3540 के अधिकतम पर पहुॅचने पर 16 वर्ष के पूर्ण होने एवं 23वें वर्ष में कमंशः एक–एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि की अनुमन्यता ।

महोदय,

वर्ग'घ' के रू0 2550–55–2660–60–3200 के वेतनमान के कर्मचारियों को वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की स्थिति में तीन अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि, वृद्धिरोध वेतन के रूप में दिये जाने का प्राविधान है । शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि 14 वर्ष पर वैयक्तिक रूप से रू0 2610–60–3150–65–3540का वेतनमान उपलब्ध कराये जाने पर उक्त वेतनमान का अधिकतम रू0 3540 का मूल वेतन 16 वर्ष पूर्ण होने पर अनुमन्य हो जाता है जिसमें लम्बे समय तक उक्त वेतनमान के अधिकतम पर वृद्धिरोध बना रहता है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय वेतनमान रू0 2550–55–2660–60–3200 में नियुक्त वर्ग'घ' के कर्मचारियों के लिऐ प्रथम प्रोन्नत वेतनमान अर्थात रू0 2610–3540 के अधिकतम पर कार्यरत होने पर वृद्धिरोध के कारण मूल वेतन की भांति समयमान वेतनमान में भी 16 वर्ष पूर्ण होने अर्थात अधिकतम रू0 3540 के सोपान प्राप्त होने पर एवं 23वें वर्ष में कमशः एक–एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3.उक्त व्यवस्था वेतनमान रू0 2550–55–2660–60–3200 में नियुक्त वर्ग'घ' के कर्मचारियों के समयमान वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर वृद्धिरोध समाप्त करने हेतु किया गया है यदि कालान्तर में उक्त संवर्ग को कोई नया समयमान वेतनमान अनुमन्य कराया जाता है जहॉ इस प्रकार का वृद्धिरोध समाप्त हो जाये तब यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी ।

4.यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 267 (1)/XXVII(7)/2006 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2 महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
14. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तरांचल देहरादून।
15. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल देहरादून।
16. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल,
17. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
18. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांचल
20. देहरादून।
21. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
22. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
23. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
24. इरला चैक अनुभाग उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:२६८ / xxvii(7) / 2006
देहरादून, दिनांक:२५ नवम्बर,2006

## कार्यालय ज्ञाप

राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा उत्तरांचल राज्य की सिविल सेवा के अधिकारियों एवं अनुमन्य की गयी विषेश भत्ते की दरों के सन्दर्भ में उप सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर बढ़ी हुई दर से विशेष भत्ता स्वीकृत किए जाने के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–4339 / तीस–1–2004–12(39) / 2001 दिनांक 20 दिसम्बर,2004 के साथ पठित शासनादेश संख्या 5601 / तीस– 1– 2006 – 25(31) / 2006 दिनांक10 फरवरी,2006 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2.इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी उल्लिखित विशेष भत्ते की सुविधा उत्तरांचल राज्य सचिवालय सेवा से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भी समान आधार पर उपलब्ध करा दी जाय। अतः श्री राज्यपाल महोदय अनु सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को दिनांकः 10 फरवरी,2006 से क्रमशः रू0 600 / –,800 / –,900 / – व 1000 / – का मासिक विशेष भत्ता स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

3.शासनादेश सं0 939 / वि0अनु0–3 / 2003 दिनांक 30 जून,2003 में निहित प्राविधानानुसार अपर सचिव के पद पर अन्य राज्य सेवाओं के समकक्षीय अधिकारियों की तैनाती होने पर इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि किसी भी दशा में मूल वेतन, विशेष वेतन, विशेष भत्ता, वैयक्तिक वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के योग की अधिकतम सीमा रू0 22,400 / – प्रतिमाह से अधिक नही होगी ।

4.उत्तरांचल राज्य सचिवालय में अनु सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव / अपर सचिव तथा समकक्षीय पदों पर तैनात होने वाले अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को विशेष वेतन / भत्ता की अनुमन्यता विषयक पूर्व आदेश उपरोक्तानुसार संशोधित समझे जायेंगे ।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव,वित्त ।

संख्याः२६८/XXVII(7)/2006 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार,उत्तरांचल ।

2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव,उत्तरांचल शासन

3.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल ।

4.निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।

5.इरला चैक अनुभाग ।

6.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।

7.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल राज्य एकक ।

9.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)

अपर सचिव ।

संख्याः267/xxvii(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 28 नवम्बर2006

विषयः– वर्ग 'घ' के कर्मचारियों को 14 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य प्रथम प्रोन्नत वेतनमान रू0 2610–60–3150–65–3540 के अधिकतम पर पहुँचने पर 16 वर्ष के पूर्ण होने एवं 23वें वर्ष में कमंशः एक–एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि की अनुमन्यता ।

महोदय,

वर्ग'घ' के रू0 2550–55–2660–60–3200 के वेतनमान के कर्मचारियों को वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की स्थिति में तीन अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि, वृद्धिरोध वेतन के रूप में दिये जाने का प्राविधान है । शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि 14 वर्ष पर वैयक्तिक रूप से रू0 2610–60–3150–65–3540का वेतनमान उपलब्ध कराये जाने पर उक्त वेतनमान का अधिकतम रू0 3540 का मूल वेतन 16 वर्ष पूर्ण होने पर अनुमन्य हो जाता है जिसमें लम्बे समय तक उक्त वेतनमान के अधिकतम पर वृद्धिरोध बना रहता है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय वेतनमान रू0 2550–55–2660–60–3200 में नियुक्त वर्ग'घ' के कर्मचारियों के लिऐ प्रथम प्रोन्नत वेतनमान अर्थात रू0 2610–3540 के अधिकतम पर कार्यरत होने पर वृद्धिरोध के कारण मूल वेतन की भांति समयमान वेतनमान में भी 16 वर्ष पूर्ण होने अर्थात अधिकतम रू0 3540 के सोपान प्राप्त होने पर एवं 23वें वर्ष में कमशः एक–एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3.उक्त व्यवस्था वेतनमान रू0 2550–55–2660–60–3200 में नियुक्त वर्ग'घ' के कर्मचारियों के समयमान वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर वृद्धिरोध समाप्त करने हेतु किया गया है यदि कालान्तर में उक्त संवर्ग को कोई नया समयमान वेतनमान अनुमन्य कराया जाता है जहॉ इस प्रकार का वृद्धिरोध समाप्त हो जाये तब यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जाएगी ।

4.यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 267 (1)/XXVII(7)/2006 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2 महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
14. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तरांचल देहरादून।
15. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल देहरादून।
16. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल,
17. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
18. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांचल
20. देहरादून।
21. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
22. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
23. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
24. इरला चैक अनुभाग उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

24/11/2006

संख्याः२७७/xxvii(7)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 देहरादूनःदिनॉकः२४नवम्बर 2006

विषयः-वरिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक पदनाम प्रशासनिक अधिकारी-2 कर वेतनमान रू0 5000 -150-8000 मे उच्चीकरण विषयक शासनादेश संख्याः76 /xxvii(7)/2006 दिनांकः 03 जून,2006 में संशोधन ।

महोदय,

शासनादेश संख्याः76/xxvii(7)/2006 दिनांकः 03 जून,2006 द्वारा जिन-जिन विभागों एवं कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक वेतनमान रू0 4500-125-7000 की पदोन्नति मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक वेतनमान रू0 4500-7000 के पद पर होती है उन-उन विभागों एवं कार्यालयों में मुख्य लिपिक परिवर्तित पदनाम मुख्य सहायक के पद को उच्चीकृत करते हुए इसका पदनाम प्रशासनिक अधिकारी-2 वेतनमान रू0 5000-150-8000 किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज एसोसिएशन की मांगों के संबंध में मा0 मत्री, लोक निमार्ण,राज्य सम्पत्ति,सूचना, संसदीय कार्य, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, उत्तरांचल की अध्यक्षता में दिनांकः 25.10.2006 को हुई समझौता वार्ता के कम में उक्त शासनादेश दिनांक 3 जून,2006 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से लागू व्यवस्था को दिनांक 01 जुलाई,2001 से लागू करते हुए नगद भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

2.इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांकः3 जून,2006 के द्वारा लागू की गई व्यवस्था को अब दिनांकः1 जुलाई,2001 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। : उक्त तिथि से देय समस्त ऐरियर का पदधारक को नगद भुगतान किया जायेगा ।

3.उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 03 जून,2006 केवल उपर्युक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

संख्या२७७ (1)/XXVII(7)/2006 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

12. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
13. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
14. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तरांचल देहरादून।
15. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल देहरादून।
16. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तरांचल।
17. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
18. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तरांचल देहरादून।
20. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
21. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
22. इरला चैक अनुभाग उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः– /XXVII (1)/2006

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 09 नवम्बर,2006

विषयः– 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2006–07 के लिए समस्त क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को कुल धनराशि रू0 48600000.00 (रू0 चार करोड़ छियासी लाख मात्र) को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत करते हुए श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– (1) सक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि से क्षेत्र पंचायतें अन्तर ग्राम पंचायतीय पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण पर व्यय करेगी। प्रदोक्ता प्रभारों के रूप में आवर्ती लागत का सबसे व्यय 50 प्रतिशत हिस्सा वसूल करना चाहिए।

(3) संक्रमित धनराशि से विकास सम्बंधी निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे। 12वॉ वित्त आयोग ने अपेक्षा की है कि पंचायती राज संस्थाओं को इस धनराशि का उपयोग सेवाएं प्रदान करने हेतु किया जाना चाहिए, जैसे– जलापूर्ति तथा स्वच्छता। पंचायतों को स्वजलाधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

(4) क्षेत्र पंचातयों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(5) संक्रमित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2007 तक किया जाना है। इसके बाद उपयोग अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

6– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

7– निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी तथा वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बगैर कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का उपयोग प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त

विभाग को किये गये कार्य के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा और तभी अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8– उपयोगिता प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन तथा सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन को भेजा जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम, व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा। उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

9– इस पर होन वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–12वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार वहन किया जायेगा।

*संलग्नक:– यथोक्त।*

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या/659 सी(1) वि0अनु0–1/ 2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकता हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तरांचल।
3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त जिला पंचायत राज, अधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारा/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

9/11/2006
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः– 1659सी/XXVII(1)/2006 दिनांक 09 नवम्बर,2006 संलग्नक

12वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत क्षेत्र पंचायतों को देय अनुदान की प्रथम किश्त।

| जनपद का नाम | विकासखण्ड का नाम | प्रथम किश्त (धनराशि रू0 में) |
|---|---|---|
| अल्मोड़ा | भैसियाछाना | |
| | भिकियासैण | 166943 |
| | चौखुटिया | 247567 |
| | धौलादेवी | 295521 |
| | द्वाराहाट | 608625 |
| | हवलबाग | 365533 |
| | लमगड़ा | 338401 |
| | सल्ट | 404216 |
| | स्याल्दे | 520360 |
| | ताकुला | 415978 |
| | ताड़ीखेत | 223969 |
| | योगः– | 566641 |
| बागेश्वर | बागेश्वर | **4153754** |
| | गरूड़ | 614695 |
| | कपकोट | 288173 |
| | योगः– | 569067 |
| चमोली | दशोली | **1471935** |
| | देवाल | 349739 |
| | गैरसैण | 275014 |
| | घाट | 542169 |
| | जोशीमठ | 254233 |
| | कर्णप्रयाग | 759216 |
| | नारायणबगड़ | 464578 |
| | पोखरी | 257214 |
| | थराली | 309467 |
| | योगः– | 248610 |
| चम्पावत | बाराकोट | **3460239** |
| | चम्पावत | 155362 |
| | लोहाघाट | 623823 |
| | पाटी | 201117 |
| | योगः– | 270900 |
| देहरादून | चकराता | **1251202** |
| | डोईवाला | 509879 |
| | कालसी | 683486 |
| | रायपुर | 523849 |
| | सहसपुर | 700903 |
| | विकासनगर | 871581 |
| | | 693769 |

9/11/2006

| जनपद का नाम | विकासखण्ड का नाम | प्रथम किश्त (धनराशि रू0 में) |
|---|---|---|
| | योग:- | |
| हरिद्वार | बहादराबाद | 3983467 |
| | भगवानपुर | 1919192 |
| | खानपुर | 1011944 |
| | लक्सर | 311844 |
| | नारसन | 613211 |
| | रुड़की | 862385 |
| | योग:- | 744081 |
| नैनीताल | बेतालघाट | 5462656 |
| | भीमताल | 305100 |
| | धारी | 243795 |
| | हल्द्वानी | 152253 |
| | कोटाबाग | 763193 |
| | ओखलकाण्डा | 244961 |
| | रामगढ | 400104 |
| | रामनगर | 266125 |
| | योग:- | 389949 |
| पौड़ी | बीरोंखाल | 2765479 |
| | दुगड्डा | 757404 |
| | द्वारीखाल | 1498356 |
| | एकेश्वर | 918100 |
| | कल्जीखाल | 459572 |
| | खिर्सू | 589138 |
| | कोट | 312665 |
| | लैंसडाऊन | 429546 |
| | नैनीडांडा | 595856 |
| | पाबौ | 751323 |
| | पौड़ी | 608852 |
| | पोखड़ा | 378768 |
| | रिखणीखाल | 305128 |
| | थलीसैंण | 561364 |
| | यमकेश्वर | 1026141 |
| | योग:- | 929477 |
| पिथौरागढ़ | बेरीनाग | 10121691 |
| | धारचूला | 480883 |
| | डीडीहाट | 695568 |
| | गंगोलीहाट | 194404 |
| | कनालीछीना | 576843 |
| | मुनाकोट | 269354 |
| | मुनस्यारी | 284923 |
| | | 791802 |

9/11/2006

| जनपद का नाम | विकासखण्ड का नाम | प्रथम किश्त (धनराशि रू0 में) |
|---|---|---|
| | पिथौरागढ़ | 273978 |
| | योगः– | **3567756** |
| रुद्रप्रयाग | अगस्तमुनि | 759307 |
| | जखोली | 375569 |
| | ऊखीमठ | 393870 |
| | योगः– | **1528746** |
| टिहरी गढ़वाल | नीलगना | 1292579 |
| | चम्बा | 349403 |
| | देवप्रयाग | 417220 |
| | जाखणीधार | 276170 |
| | जौनपुर | 567618 |
| | कीर्तिनगर | 258863 |
| | नरेन्द्रनगर | 311113 |
| | प्रतापनगर | 302951 |
| | थौलधार | 278382 |
| | योगः– | **4054298** |
| ऊधमसिंह नगर | बाजपुर | 434534 |
| | गदरपुर | 358480 |
| | जसपुर | 407503 |
| | काशीपुर | 310800 |
| | खटीमा | 1055858 |
| | रूद्रपुर | 431761 |
| | सितारगंज | 1108926 |
| | योगः– | **4107861** |
| उत्तरकाशी | भटवाड़ी | 499590 |
| | चिन्यालीसौड | 300026 |
| | डुण्डा | 347698 |
| | मोरी | 411111 |
| | नौगॉव | 942379 |
| | पुरोला | 170114 |
| | योगः– | **2670917** |
| | महायोगः– | **48600000** |

(रू0 चार करोड़ छियासी लाख मात्र)

(एल0एम0पन्त) 9/11/2006
अपर सचिव, वित्त।

प्रपत्र बी0 एम0– 15

पुनर्विनियोग विवरण

(जैसा कि उल्लेख प्रस्तर – 178 में है)

नियन्त्रक अधिकारी– प्रमुख सचिव, वित्त

प्रशासनिक विभाग – वित्त विभाग

अनुदान संख्या – 07

(धनराशि हजार रूपये में)

| बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक | मानक मदवार अद्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष धनराशि | लेखाशीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है तथा धनराशि | पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि | पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि | अ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन<br>02– पंचायती राज संस्थायें<br>198– ग्राम पंचायतें<br>01– केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं<br>02– बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान<br>20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता<br>– 475000 | 81000 | 294000 | 100000 | 3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन<br>02– पंचायती राज संस्थायें<br>197– विकास खण्ड स्तरीय पंचायत<br>01– केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं<br>02– बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान<br>– 48600<br>20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता | 48601 | 426600 | क्षेत्र प<br>हेतु ध<br>उपलब<br>के का |
| योग:– 475000 | 81000 | 294000 | 100000 | 48600 | 48601 | 426600 | |

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर – 150 से 156 तक में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

9/11/2006

(एल0 एम0 पन्त)

अपर सचिव, वित्त

प्रेषक,

एल0 एम0 पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

संख्या – / XXVII(1)/2006

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून : दिनांक : 09 नवम्बर,2006

विषय : 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु नगर पंचायतों को धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार समस्त नगर पंचायतों, उत्तरांचल को चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु रू0 5045792/– (रूपये पचास लाख पैंतालीस हजार सात सौ बयानब्बें मात्र) की धनराशि तदर्थ आधार पर संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है:–

(1) संकमित की जा रही धनराशि का 50 प्रतिशत अंश ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) पर व्यय किया जायेगा तथा शेष अन्य विकास कार्यों पर, इसके द्वारा ठोस कचरे का उठान उसे अलग करने तथा ढुलान पर होने वाला व्यय किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम जनसामान्य की भागीदारी से किया जाना उचित होगा।

(2) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संकमित की गई हैं । इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही दूसरी किश्त अवमुक्त की जायगी।

(4) नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(5) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित

करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

(6) इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर 31 मार्च, 2007 तक वित्त विभाग को कराये गये कार्यों के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा, तभी अगले वर्ष हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102– 12वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 1658 (1)/XXVII(1)/2006 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिला वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
8. एन0 आई0 सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ब्लॉक 11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

9/10/2006

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

शासनादेश संख्याः-1658/XXVII(1)/2006 दिनांक 09 नवम्बर,2006 संलग्नक

12वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत शहरी स्थानीय निकायों को देय अनुदान की प्रथम किश्त।

| जनपद का नाम | नगर पंचायत का नाम | प्रथम किश्त धनराशि रू0 में |
|---|---|---|
| अल्मोड़ा | द्वाराहाट | 197913 |
| चमोली | गोचर | 312395 |
| | कर्णप्रयाग | 369812 |
| | नन्दप्रयाग | 54661 |
| चम्पावत | चम्पावत | 116418 |
| | लोहाघाट | 134802 |
| देहरादून | डोईवाला | 115724 |
| | हर्बटपुर | 275970 |
| हरिद्वार | झबरेडा | 86008 |
| | लक्सर | 279971 |
| | लण्डौरा | 133317 |
| नैनीताल | कालाढूंगी | 79876 |
| | लालकुँआ | 151491 |
| | भीमताल | 116517 |
| पिथौरागढ़ | धारचूला | 326055 |
| | डीडीहाट | 113906 |
| रुद्रप्रयाग | रुद्रप्रयाग | 450342 |
| टिहरी | चम्बा | 130990 |
| | देवप्रयाग | 106115 |
| | कीर्तिनगर | 49314 |
| | मुनिकीरेती | 202302 |
| ऊधमसिंह नगर | दिनेशपुर | 236559 |
| | केलाखेड़ा | 166023 |
| | महुआडाबरा | 119871 |
| | महुआखेड़ागंज | 94368 |
| | शक्तिगढ़ | 123434 |
| | सुल्तानपुर | 102261 |
| उत्तरकाशी | बड़कोट | 399380 |
| | योगः- | **5045792** |

(रू0 पचास लाख पैंतालीस हजार सात सौ बयानब्बें मात्र)

9/11/2006

(एल0एम0पन्त)

अपर सचिव , वित्त।

संख्याः /XXVII(1)/2006

प्रेषक,

एस0के दास,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः:दिनांकः 22 नवम्बर,2006

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त धनराशि के उपयोग के सम्बंध में मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2006–11 की अवधि के लिए राज्य के सकल निज राजस्व का 10 प्रतिशत (ब्याज, प्राप्तियों, लाभांश, मुनाफों, खनिजों की रायल्टी, वानिकी उत्पादों के विक्रय से आय विद्युत रायल्टी इत्यादि के अतिरिक्त) भाग का नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण देय होगा। जिसके अनुसार देय धनराशि का 40 प्रतिशत अंश शहरी स्थानीय निकायों को तथा 60 प्रतिशत अंश पंचायती राज संस्थाओं को देय होगा।

शहरी स्थानीय निकायों को देय 40 प्रतिशत से नगर निगम को 8.068 प्रतिशत, समस्त नगर पालिका परिषदों को 25.996 प्रतिशत तथा समस्त नगर पंचायतों को 5.936 प्रतिशत अंश देय होगा।

2– आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संक्रमण की संस्तुति निम्न आधार पर की गई है:–

| | |
|---|---|
| (i) आबादी | 50 प्रतिशत |
| (ii) क्षेत्रफल | 15 प्रतिशत |
| (iii) वंचन अनुक्रमाणिका (Deprivation Index) | 10 प्रतिशत |
| (iv) सुदूरवर्ती अनुक्रमाणिका ( Remoteness Index) | 15 प्रतिशत |
| (v) कर प्रयास | 10 प्रतिशत |

प्रत्येक जिलें (नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए अलग–अलग) के भाग को निर्धारित करने के पश्चात् प्रत्येक नगरीय निकाय के भाग की समान माप दण्डों तथा समान भाग के आधार पर गणना की गई है।

शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषदों तथा समस्त नगर पंचायतों को देय प्रतिशत अंश संलग्न अनुलग्नक II क में दिये गये है।

3– **कमीः**– द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनाये गये सिद्धान्त तथा मापदण्ड़ों के अनुसार अनुलग्नक–3 में दी गई 6 नगर पालिका परिषदों तथा 7 नगर पंचायतों को मिलने वाले संक्रमण की धनराशि में कमी हुई है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन निकायों को मिलने वाले संक्रमण में कमी न की जाये तथा उन्हें वर्ष 2005–06 में संक्रमित धनराशि के आधार पर ही संक्रमण किया जाय।

4– **गैर निर्वाचित निकायः**– आयोग द्वारा 3 शहरी निकायों केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा गंगोत्री को समनुदेशन की संस्तुत नहीं की है क्योंकि इन निकायों का निर्वाचन नही हुए है। इन निकायों को प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.26 के अन्तर्गत निम्न प्रकार अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

| | |
|---|---|
| क– नगर पंचायत बद्रीनाथ | रू0 25 लाख प्रतिवर्ष |
| ख– नगर पंचायत, केदारनाथ | रू0 15 लाख प्रतिवर्ष |
| ग– नगर पंचायत, गंगोत्री | रू0 10 लाख प्रतिवर्ष |

5– **विशेष अनुदानः**– नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी तथा क्षेत्र पंचायत भटवाड़ी की भागीरथी नदी की सफाई तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था हेतु रू0 50 लाख का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुदान की धनराशि जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिला जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी एवं क्षेत्र पंचायत, भटवाड़ी से विचार–विमर्श के बाद कार्ययोजना बना कर अनुदान का उपयोग किया जायेगा।

6– संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए नगर निगम के सम्बंध में सम्बंधित मंडल के आयुक्त तथा नगरपालिका परिषदों/पंचायतों के सम्बंध में बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उस कार्य के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि संक्रमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नही होगा।

7– निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक /वरिष्ट लेखा अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी तथा वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बगैर कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का उपयोग प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त विभाग को किये गये कार्य के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा और तभी अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8– द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल के प्रतिवेदन की प्रतियाँ आपको प्रेषित की गई हैं। प्रतिवेदन में की गई अन्य संस्तुतियों के सम्बंध में अपने स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 के0 दास)
मुख्य सचिव

संख्याः 1675/XXVII(1)/2006/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल उत्तरांचल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, उत्तरांचल देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तरांचल देहरादून।
5– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल देहरादून।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
8– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरांचल।
9– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तरांचल।
10– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

अनुलग्नक II क (क्रमशः)

शहरी स्थानीय निकायों

| जनपद का नाम | शहरी स्थानीय निकायों का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किलामीटर में) | जनसंख्या | कर प्रयास करना (विभव एवं सम्पत्ति कर प्रति व्यक्ति) | समुद्र तल से ऊचाई (मीटर) | जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर | रेल मुख्यालय से दूरी (किमी) | अन्तरणीय योग से अंश (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अल्मोड़ा | अल्मोड़ा | 7.36 | 30154 | 99.62 | 1650 | 4097.01 | 87 | 0.636 |
| | द्वाराहाट | 2.87 | 3092 | 17.46 | 1540 | 1077.35 | 127 | 0.233 |
| बागेश्वर | बागेश्वर | 5 | 7803 | 45.98 | 960 | 1560.60 | 160 | 0.308 |
| चमोली | गोपेश्वर | 15.02 | 19833 | 28.83 | 1515 | 1320.44 | 213 | 0.835 |
| | जोशीमठ | 11.19 | 13204 | 25.29 | 1850 | 1179.98 | 252 | 0.644 |
| | बद्रीनाथ | 2.01 | 1682 | अप्राप्त | 3110 | 836.82 | 296 | 0.000 |
| | गोचर | 15 | 7303 | 7.81 | 777 | 486.87 | 162 | 0.368 |
| | कर्णप्रयाग | 25 | 6977 | 28.93 | 775 | 279.08 | 170 | 0.435 |
| | नन्दप्रयाग | 2.16 | 1704 | 19.21 | 1375 | 788.89 | 190 | 0.064 |
| चम्पावत | टनकपुर | 1.01 | 15811 | 16.98 | 244.38 | 15654.46 | 0 | 0.320 |
| | चम्पावत | 5 | 3959 | 48.08 | 1650 | 791.80 | 75 | 0.137 |
| | लोहाघाट | 4.5 | 5829 | 39.97 | 1645 | 1295.33 | 86 | 0.159 |
| देहरादून | देहरादून | 52 | 426674 | 55.94 | 450 | 8205.27 | 0 | 8.068 |
| | मसूरी | 64.75 | 26075 | 310.91 | 2200 | 402.70 | 35 | 2.489 |
| | ऋषिकेश | 10 | 66189 | 72.39 | 356 | 6618.90 | 0 | 1.115 |
| | विकासनगर | 1.4 | 12486 | 78.31 | 486 | 8918.57 | 42 | 0.238 |
| | डोईवाला | 1.91 | 8043 | 31.02 | 484.4 | 4210.99 | 0 | 0.136 |
| | हर्बटपुर | 7.33 | 9243 | 22.58 | अप्राप्त | 1260.98 | 36 | 0.325 |
| हरिद्वार | हरिद्वार | 11.91 | 177509 | 0.39 | 410 | 14904.20 | 0 | 2.394 |
| | मंगलौर | 1.32 | 42584 | 14.64 | अप्राप्त | 32260.61 | 6 | 0.385 |
| | रुड़की | 7.74 | 97516 | 39.19 | 266.88 | 12598.97 | 0 | 1.276 |
| | झबरेड़ा | 0.09 | 9384 | 33.65 | 256 | 104266.67 | 8 | 0.101 |
| | लक्सर | 3.3 | 18242 | 30.49 | 285 | 5527.88 | 0 | 0.329 |
| | लण्ढौरा | 0.82 | 16036 | 13.56 | 254.8 | 19556.10 | 1 | 0.157 |
| नैनीताल | भवाली | 1.32 | 5512 | 36.47 | 1735 | 4175.76 | 33 | 0.092 |
| | हल्द्वानी | 10.62 | 158896 | 27.08 | 500 | 14961.96 | 0 | 2.377 |
| | नैनीताल | 37.05 | 38630 | 41.21 | 1938 | 1042.65 | 35 | 1.377 |
| | रामनगर | 2.46 | 46205 | 29.39 | 333 | 18782.52 | 1 | 0.524 |
| | भीमताल | 3.95 | 5874 | 14.68 | 1335 | 1487.09 | 22 | 0.137 |
| | काला ढूंगी | 1.16 | 6128 | 29.99 | 426 | 5282.76 | 25 | 0.094 |
| | लालकुआ | 4.25 | 6524 | 99.71 | 840 | 1535.06 | 0 | 0.178 |
| पौड़ी | दुगड्डा | 2.59 | 2998 | 19.84 | 680 | 1157.53 | 15 | 0.067 |
| | कोटद्वार | 2.59 | 24947 | 44.97 | 395 | 9632.05 | 10 | 0.736 |
| | पौड़ी | 41.44 | 24742 | 27.11 | 1750 | 597.06 | 106 | 1.001 |
| | श्रीनगर | 7.77 | 19658 | 23.40 | 580 | 2529.99 | 106 | 0.415 |

| जनपद का नाम | शहरी स्थानीय निकायों का नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किलामीटर में) | जनसंख्या | कर प्रयास करना (विभव एवं सम्पत्ति कर प्रति व्यक्ति) | समुद्र तल से ऊचाई (मीटर) | जनसंख्या धनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर | रेल मुख्यालय से दूरी (किमी) | अन्तरणीय योग से अंश (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पिथौरागढ़ | पिथौरागढ़ | 8.99 | 44964 | 27.73 | 1525 | 5001.56 | 150 | 1.157 |
| | धारचूला | 15.19 | 6324 | 34.95 | 750 | 416.33 | 244 | 0.384 |
| | डीडीहाट | 1.12 | 4806 | 54.68 | 1700 | 4291.07 | 205 | 0.134 |
| रुद्रप्रयाग | केदारनाथ | 2.79 | 482 | अप्राप्त | 3500 | 172.76 | 230 | 0.000 |
| | रुद्रप्रयाग | 1 | 2250 | 62.94 | 600 | 2250.00 | 139 | 0.530 |
| टिहरी | नरेन्द्रनगर | 10.36 | 5304 | 37.28 | 1030 | 511.97 | 16 | 0.199 |
| | टिहरी | 37.05 | 25423 | 0.00 | 1900 | 686.18 | 72 | 0.965 |
| | चम्बा | 4 | 6580 | 0.00 | 360 | 1645.00 | 61 | 0.154 |
| | देवप्रयाग | 5.18 | 2769 | 36.57 | 360 | 534.56 | 72 | 0.125 |
| | कीर्तिनगर | 1.5 | 1040 | 53.76 | 360 | 693.33 | 105 | 0.058 |
| | मुनिकीरेती | 1.82 | 7880 | 26.21 | 360 | 4329.67 | 5 | 0.238 |
| ऊधमसिंह नगर | बाजपुर | 2.62 | 21792 | 19.50 | अप्राप्त | 8317.56 | 0 | 0.302 |
| | गदरपुर | 3.4 | 13645 | 40.85 | 210 | 4013.24 | 16 | 0.286 |
| | जसपुर | 4 | 38937 | 36.14 | 345 | 9734.25 | 11 | 0.569 |
| | काशीपुर | 5.46 | 92967 | 37.23 | अप्राप्त | 17026.92 | 3 | 1.253 |
| | खटीमा | 8.4 | 14335 | 51.50 | 209 | 1706.55 | 1 | 0.379 |
| | किच्छा | 4.02 | 30503 | 22.42 | 1550 | 7587.81 | 0 | 0.470 |
| | रुद्रपुर | 12.43 | 88676 | 29.69 | 209 | 7134.03 | 2.5 | 1.968 |
| | सितारगंज | 2 | 22027 | 21.35 | 453 | 11013.50 | 28 | 0.369 |
| | दिनेशपुर | 4.5 | 8856 | 9.34 | 210 | 1968.00 | 18 | 0.278 |
| | केलाखेड़ा | 4 | 7782 | 15.21 | 0 | 1945.50 | 10 | 0.195 |
| | महुआडाबरा | 2 | 6103 | 6.77 | 239 | 3051.50 | 20 | 0.141 |
| | महुआखेड़ागंज | 0.27 | 8859 | 13.28 | 235 | 32811.11 | 7 | 0.111 |
| | शक्तिगढ़ | 1.8 | 4776 | 0.00 | 453 | 2653.33 | 30 | 0.145 |
| | सुल्तानपुर | 2 | 7714 | 11.47 | 230 | 3857.00 | 0 | 0.120 |
| उत्तरकाशी | उत्तरकाशी | 12.02 | 16218 | 23.96 | 1140 | 1349.25 | 151 | 0.850 |
| | बड़कोट | 5 | 6095 | 23.02 | 1828 | 1219.00 | 127 | 0.470 |
| | गंग्रोत्री | 0.14 | 605 | अप्राप्त | 3140 | 4321.43 | 250 | 0.000 |